सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 कार्तिक 8, गुरुवार, शाके 1947–अक्टूबर 30, 2025 अंक 31
Vol. 77 Kartika 8 , Thursday, Saka 1947–October 30, 2025 No. 31

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एक 1/12/एफ.डी.ई.आर. 187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं हस्ताक्षरकर्ता मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व मदन कुमारी (MADAN KUMARI) (पुराना नाम) कहलाती थी एवं जो कानिस्टेबल 410, वृत्त कार्यालय पुलिस लाईन जालोर जिला जालोर (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में कानिस्टेबल 410, वृत्त कार्यालय पुलिस लाईन जालोर जिला जालोर (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त थी, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पति/ मेरे पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम मदन कुमारी (MADAN KUMARI) उपनाम (सिर्फ) को त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) तथा उपनाम ग्रहण करती हूं एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरे पत्नि, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम मदन कुमारी (MADAN KUMARI) (केवल) से न जाने जाएँ तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजना के लिए घोषणा करती हूं कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम मदन कुमारी (MADAN KUMARI) तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) नाम के रूप में तथा मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) उपनाम मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम मदन कुमारी (MADAN KUMARI) तथा तथा मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) का वर्णन किया है तथा दिनांक 13.08.2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम मधु बिश्नोई (MADHU BISHNOI) पूर्व में मदन कुमारी (MADAN KUMARI) कहलाती थी हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. सुशीला, पद : कानिस्टेबल 860,
   साईबर थाना, जालोर जिला जालोर।
2. प्यारी, पद : कानिस्टेबल 921,
   पुलिस लाईन जालोर, जिला जालोर।

मधु
हस्ताक्षर
नया नाम : मधु बिश्नोई
पुराना नाम : मदन कुमारी

प्रतिहस्ताक्षर
शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया
जिला पुलिस अधीक्षक
जालोर (राज.)।

18132

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।